



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102025-267058
CG-DL-E-21102025-267058

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]
No. 308]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 16, 2025/आश्विन 24, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2025
सं. 26 / 2025-26

विषय: दिनांक 21.01.2025 की सार्वजनिक सूचना संख्या 42/2024-25 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/152/एएम20/पीसी-4.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक में दिनांक 21.01.2025 की सार्वजनिक सूचना सं. 42/2024-2025 द्वारा अधिसूचित पैरा को पुनः अंकित करते हैं।

1. निम्नलिखित पैरा को निम्नानुसार पुनः अंकित किया गया है:

4.95 हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र (डीआइए) के लिए आवेदन प्रस्तुत करना

हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र के संबंध में नीति एफटीपी 2023 में उल्लिखित है। आवेदक अपना आवेदन एएनएफ 4अ का उपयोग करके संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि परिशिष्ट 4क में विनिर्दिष्ट है।

4.96 आयात और निर्यात की शर्तें

- i. आयात और निर्यात की अनुमति केवल मुंबई हवाई पत्तन के माध्यम से दी जाएगी।
- ii. आयात मर्दे आयात-पूर्व शर्तों के अधीन है।
- iii. निर्यात दायित्व केवल प्राकृतिक रूप से तराषे हुए और पॉलिश किए गए हीरे के वास्तविक निर्यात के माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक हीरे का वजन एक कैरेट के $1/4$ (25 सेंट) से अधिक नहीं होगा। आयात और निर्यात के बीच एक से एक सहसंबंध की आवश्यकता नहीं होगी।
- iv. डीआइए धारक को मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा प्राप्त करके 10% का न्यूनतम मूल्यसंवर्धन प्राप्त करना होगा। एफटीपी 2023 के पैरा 2.52 (घ) के प्रावधान इस स्कीम पर लागू नहीं होंगे।
- v. इस स्कीम के अंतर्गत मान्य निर्यात की अनुमति नहीं है।
- vi. सीमा शुल्क के माध्यम से माल की निकासी से पहले, हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र (डीआइए) धारक को संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी के समक्ष पूर्व निर्धारित शुल्क के समतुल्य राशि की निष्पादन बैंक गारंटी के साथ डीआइए के निर्यात दायित्व के बराबर बॉण्ड को तैयार करना होगा।
- vii. केवल वे निर्यात जो आयात की तिथि के बाद किए गए हैं, निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं। सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार संबंधित स्कीम कोड वाले शिपिंग बिलों को जारी किए गए डीआइए के साथ निर्यात का सह-संबंध स्थापित करने के लिए हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र संख्या के साथ पृष्ठांकित किया जाना चाहिए।

4.97 सामान्य प्रावधान

- i. आयात के उद्देश्य से, डीआइए की वैधता प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि से 12 महीने है।
- ii. निर्यात दायित्व की पूर्ति की अवधि प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि से 18 महीने है।
- iii. किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए एक आइइसी के लिए केवल एक प्राधिकार पत्र की अनुमति है।
- iv. डीआइए के तहत कोई एआरओ/अवैधीकरण पत्र/आपूर्ति प्रमाणपत्र (सीओएस) की अनुमति नहीं है।
- v. आयातित सामग्री का उपयोग हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र धारक की किसी भी इकाई में इस पुस्तक के पैरा 4.10 की शर्त के अधीन या आढ़तिया/सहायक विनिर्माता द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते कि क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र पर इसका अनुमोदन किया गया हो। डीआइए के लिए सह-लाइसेंस धारक की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- vi. हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात किए गए माल को राजस्व विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उसी या लगभग उसी रूप में पुनः आयात किया जा सकता है। प्राधिकार पत्र धारक को ऐसे पुनः आयात के बारे में उस क्षेत्रीय प्राधिकारी को भी सूचित करना होगा जिसने पुनः आयात की तिथि से एक माह के भीतर प्राधिकार पत्र जारी किया था।
- vii. डीआइए के तहत निर्यात दायित्व अवधि का विस्तार नहीं किया जाएगा।
- viii. डीआइए के तहत पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.98 निर्यात दायित्व की पूर्ति

हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र धारक को परिशिष्ट 4क में यथा विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को एएनएफ 4ट में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा और निर्यात दायित्व की पूर्ति के समर्थन में निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

4.99 निर्यात दायित्व की पूर्ति में वास्तविक चूक का नियमितीकरण

निर्यात दायित्व की पूर्ति में वास्तविक चूक के मामलों को क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार नियमित किया जा सकता है:

- (i) डीआइए धारक, नियमितीकरण के लिए, राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज सहित आयातित सामग्री के अप्रयुक्त मूल्य पर सीमा शुल्क का भुगतान सीमा शुल्क प्राधिकारियों को करेगा। डीआइए धारक लागू ब्याज सहित सीमा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आइसगेट भुगतान गेटवे के माध्यम से करेगा।
- (ii) प्राधिकार पत्र धारक को भारतीय रुपये में एफओबी मूल्य में कमी के 1% के समतुल्य राशि का भुगतान डीजीएफटी वेबसाइट के माध्यम से प्रमुख "खाता शीर्ष: 1453, विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन और लघु शीर्ष 102" में ऑनलाइन करना होगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: दिनांक 21.01.2025 की सार्वजनिक सूचना सं. 42/2024-25 द्वारा अधिसूचित हीरा अग्रदाय प्राधिकार-पत्र हेतु संबंधित प्रावधानों को पुनः अंकित किया गया है।

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 15th October, 2025

No. 26/2025-2026

Subject: Amendment to Public Notice No. 42/2024-25 dated 21.01.2025 – reg.

F. No. 01/94/180/152/AM20/PC-4.—In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby rennumbers the Paras notified vide Public Notice No. 42/2024-25 dated 21.01.2025 in the Handbook of Procedures (HBP) 2023.

The following paras have been renumbered as follows:

4.95 Filing of Application for Diamond Imprest Authorisation (DIA)

The policy regarding Diamond Imprest Authorisation is outlined in the FTP 2023. Applicants shall submit their application online using ANF 4J to the concerned Regional Authority, as specified in Appendix 4A.

4.96 Conditions of Imports & Exports

- i. Imports and exports shall be permitted only through Mumbai Airport.
- ii. The import items are subject to pre-Import condition.
- iii. The export obligation shall be fulfilled exclusively through physical export of Natural Cut and Polished Diamonds, with each diamond weighing no more than ¼ of a Carat (25 Cents). One to one correlation between import and export shall not be required.
- iv. The holder of DIA must achieve a minimum value addition of 10% by realizing in Freely Convertible Currency. Provision of Para 2.52 (d) of FTP 2023, shall not be applicable to this scheme.
- v. Deemed exports are not allowed under this scheme.
- vi. Before clearance of goods through Customs, the holder of Diamond Imprest Authorisation (DIA) shall execute a Bond equal to the export obligation of DIA along with a performance Bank Guarantee of an amount equivalent to the duty foregone, with concerned Customs Authority.
- vii. Only those exports which are made after the date of import, may be accepted towards discharge of export obligation. Shipping Bills with relevant Scheme Code as per Customs Notification need to be endorsed with the Diamond Imprest Authorization Number, to establish co-relation of exports with the DIA issued.

4.97 General Provision

- i. For the purpose of import, the validity of DIA is 12 months from the date of issuance of Authorisation.

- ii. Period of fulfilment of export obligation is 18 months from the date of issuance of Authorisation.
- iii. Only one authorisation is allowed for one IEC for a particular financial year.
- iv. No ARO/Invalidation letter/Certificate of supply (CoS) is allowed against DIA.
- v. Imported material may be used in any unit of Diamond Imprest Authorisation holder subject to condition of paragraph 4.10 of this Handbook or by jobber / supporting manufacturer, provided same is endorsed on authorisation by Regional Authority. The facility of Co-licensee is not available for the DIA.
- vi. Goods exported under Diamond Imprest Authorisation may be re-imported in same or substantially same form subject to such conditions as may be specified by Department of Revenue. Authorisation holder shall also inform about such re- importation to the Regional Authority which had issued the Authorisation within one month from the date of re-import.
- vii. No extension of export obligation period will be allowed against DIA.
- viii. No Revalidation will be allowed against DIA

4.98 Fulfilment of export obligation

Diamond Imprest Authorisation holder shall file online application in ANF 4K to Regional Authority concerned, as specified in Appendix 4A and upload prescribed documents in support of fulfilment of export obligation.

4.99 Regularisation of Bonafide Default in fulfilment of export obligation

Cases of bonafide default in fulfilment of Export Obligation may be regularised by Regional Authority as under:

- (i) The DIA holder shall, for regularization, pay to Customs Authorities, Customs duty on unutilized value of imported material along with interest as notified by DoR. DIA holder shall pay Customs Duty along-with applicable interest online through ICEGATE Payment Gateway.
- (ii) Authorisation holder shall also be required to pay an amount equivalent to 1% of the shortfall in FOB value in Indian rupee, online through DGFT website into major "Head of Account: 1453, Foreign Trade and Export Promotion and Minor Head 102".

Effect of this Public Notice: The provisions relating to Diamond Imprest Authorisation (DIA) notified vide Public Notice No. 42/2024-25 dated 21.01.2025 have been renumbered.

AJAY BHADDOO, Director General of Foreign Trade &
Ex-officio Addl. Secy.